न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 32/2015 (225 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. पप्पी उर्फ पपली पुत्र कोठारी जाति फकीर,
2. हसमुद्दीन पुत्र कोठारी जाति फकीर,
3. नन्नू पुत्र कोठारी जाति फकीर,
4. सद्दाम पुत्र कोठारी जाति फकीर निवासीयान ग्राम खोंखर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

.....प्रार्थी/ अपीलांट

बनाम

1. इब्राहिम उर्फ अलीमोहम्मद पुत्र मांग्या जाति फकीर,
2. उमरदीन पुत्र कोठारी जाति फकीर निवासीयान ग्राम खोंखर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
3. ग्राम पंचायत खोंखर पंचायत समिति कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।
4. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

..... अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–
1.श्री उमाशंकर खण्डेलवाल, अभिभाषक अपीलांट
2.श्री दीपक कुमार सिद्ध व श्री रज्जन कुमार सिद्ध अभिभाषक रेस्पो0 ।
3.रेस्पो0 सं0 3 की ओर से बावजूद सूचना कोई भी उपस्थित नहीं आये ।
4.श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–31.08.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कठूमर के निर्णय दिनांक 31.08.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 381 रकबा 5 बीघा, 495 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, 435 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, 161 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, 162/1 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 175 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, 190 रकबा 3

3/18

बिस्वा, 203 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 208 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 209 रकबा 19 बिस्वा वाके ग्राम खोंखर तहसील कठूमर में स्थित है जो आराजी विवादित है । अपीलांट व असल रेस्पो0 सं0 1 व 2 व प्रतिवादी सं0 1 ल0 9 का सजरा पेश किया गया । अपीलांट व रेस्पो0 प्रतिवादीगण धर्म से मुसलमान है जो मुस्लिम कानून से संचालित होते हैं । मुस्लिम कानून में मृतक मुसलसमान व्यक्ति की सम्पति उसके पुत्र अर्थात मेल सदस्य को 2/3 हिस्सा व पुत्री, विधवा औरत अर्थात फीमेल सदस्य को 1/3 हिस्सा विरासत में प्राप्त होता है । विवादित आराजी ख0 नं0 381, 495 सालिम, 435 का 1/2 हिस्सा, ख0 नं0 161, 162/1, 175, 190, 203, 208, 209 का 1/4 हिस्सा मांग्या के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो आराजी मांग्या के फौत हो जाने पर उसके वारिस मेल सदस्यों इब्राहिम उर्फ आसमौहम्मद, शमसेर व कोठारी को 2/3 हिस्सा व फिमेल सदस्य शांति, अनवरी व उम्मेदी को 1/3 हिस्सा विरासत में मिली आराजी है । इस प्रकार इब्राहिम उर्फ आसमौहम्मद, शमसेर व मृतक कोठारी को ख0 नं0 381, 495 का 2/3 हिस्सा यानि प्रत्येक को 2/9 हिस्सा व प्रतिवादिया शांति, अनवरी व उम्मेदी को 1/3 हिस्सा यानि प्रत्येक को 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी इब्राहिम उर्फ आसमौहम्मद व शमसेर व कोठारी को ख0 नं0 435 का 1/3 हिस्सा यानि प्रत्येक को 1/9 हिस्सा व शांति, अनवरी, उम्मेदी प्रतिवादीगण को 1/6 हिस्सा यानि प्रत्येक को 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी इब्राहिम उर्फ आसमौहम्मद व शमसेर व कोठारी को ख0 नं0 161, 162/1, 175, 190, 203, 208, 209 का 1/6 हिस्सा यानि प्रत्येक को 1/18 हिस्सा व शांति, अनवरी व उम्मेदी प्रतिवादीगण को 1/12 हिस्सा यानि प्रत्येक को 1/36 हिस्सा मांग्या के फौत हो जाने पर विरासत में मिली कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । मांग्या के फौत हो जाने पर तहसीलदार कठूमर ने उसका विरासत इन्तकाल सं0 1124 इब्राहिम उर्फ आस मौहम्मद, शांति, शमसेर, अनवरी, उम्मेदी व कोठारी के नाम बहिस्सा बराबर विवादित आराजी का तस्दीक कर दिया जबकि उक्त इन्तकाल मुताबिक मुस्लिम कानून इब्राहिम उर्फ आसमौहम्मद, शमसेर व कोठारी के नाम 2/3 हिस्सा व प्रतिवादिया शांति, अनवरी व उम्मेदी के नाम 1/3 हिस्सा तस्दीक किया जाना चाहिए । मुस्लिम कानून में मृतक की सम्पति उसके वारिस मेल फिमेल सदस्य को बहिस्सा बराबर विरासत में मिलने का कोई प्रावधान नहीं है । इसलिए इन्तकाल सं0 1124 पर प्रतिवादिया शांति, अनवरी, उम्मेदी के नाम विवादित आराजी का इन्तकाल सं0 1371 हक हकूक अपीलांटान प्रारम्भ से ही शून्य व नल एण्ड वोईड है तथा प्रभावहीन है । प्रतिवादिया शांति, अनवरी व उम्मेदी के नाम विवादित आराजी के खातेदारी इन्द्राजात नुनायशी है । इन्हीं नुमायशी खातेदारी इन्द्राजों के आधार पर प्रतिवादिया उम्मेदी ने आराजी ख0 नं0 381, 485 का 1/6 हिस्सा, 435 का 1/12 हिस्सा, 190, 203, 208, 209, 175, 162/1, 161 का 1/24 हिस्सा रेस्पो0 उमरदीन को जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग दि0 18.08.2006 तथा प्रतिवादिया शांति, अनवरी, उम्मेदी ने ख. नं. 381, 495 का 1/2 हिस्सा, 435 का 1/4 हिस्सा, 190, 203, 209, 208, 175, 162/1, 161 का 3/8 हिस्सा रेस्पो0 इब्राहिम उर्फ आसमौहम्मद को जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग 18.08.2006 को कर दिया । प्रतिवादिया शांति, अनवरी, उम्मेद ने अधिक आराजी का हक त्याग किया है जबकि उनको ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं था । इस प्रकार उक्त हक त्याग किता 2 दि0 18.08.2006 अपीलांट के हिस्से तक नल एण्ड वोईड तथा प्रभावहीन तथा प्रारम्भ से ही शून्य है । गलत इन्तकाल व हक त्याग के आधार पर रेस्पो0 सं0 1 व 2 रेस्पे0 सं0 3 व 4 से

मिलकर अपीलांट को धमकी देते हैं कि तुम्हे तुम्हारे हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त नहीं करने देगें तथा बेदखल करके खुद कब्जा करेगें तथा अपने नाम इन्तकाल दर्ज व तस्दीक करायेगें । इसलिए ताफैसला रेस्पो0 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्वान तहत न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनकर वादीगण का प्रार्थना पत्र दि0 31.08.2015 खारिज कर दिया जिस निर्णय दिनांक 31.08.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहत न्यायालय में मेरा घोषणा का वाद था जिसमें विवादित आराजी विरासत में हिस्सा गलत दर्ज हो गया । दावे के साथ 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया उसमें अन्तरिम स्थगन था । तहत न्यायालय ने केवल रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है । प्रतिवादीगण की एक्सपार्टी दि0 13.08.2013 को हो गयी दि0 26.08.2015 को बहस सुनी तथा दि0 31.08.2015 को नोन स्पीकिंग आदेश पारित कर दिया जिसका अवलोकन कराया । तहत न्यायालय ने अपने आदेश में कुछ भी कारण अंकित नहीं किये हैं जबकि एक्सपार्टी हो गया तो जारी अस्थाई निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म क्यों नहीं किया ? तहत न्यायालय ने आदेश में कोई माईण्ड एप्लाई नहीं किया और न ही दस्तावेजात का अवलोकन किया । केवल पांच लाईन में नोन स्पीकिंग आदेश पारित कर दिया जो आदेश की श्रेणी में नहीं आता है । यहां यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि जब अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की तो प्रथम दृष्ट्या प्रकरण माना था और जब एक्सपार्टी हो गयी तो वे कारण खारिज किस आधार पर किये, निर्णय में अंकित नहीं किया है ।

प्रकरण की मैरिट पर बहस करते हुए कहा कि विवादित आराजी मांग्या की थी जिसके हम वारिसान है । कोठारी के हक वादी/अपीलांट प्रतिवादी इब्राहिम ही है । मुस्लिम कानून से संचालित होता है जिसमें मेल सदस्य को 2/3 व फिमेल सदस्य को 1/3 हिस्सा मिलता है । इन्तकाल बहिस्सा बराबर दर्ज कर दिया जैसे हिन्दू सक्सेशन एक्ट में होता है । कुल मिलाकर मेरी बहस ये है कि विरासत मुस्लिम कानून से तय होगा जो मूल वाद में है । यहां विरासत हिन्दू सक्सेशन एक्ट से दर्ज किया तो मूल विवाद हिस्से का है । अतः हमें हिस्सा यथावत ही तो रखना चाहा है । रेकार्ड की यथास्थिति तो चाही है । इसलिए तहत न्यायालय का आदेश निरस्तनीय है और अपील अपीलांट स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

जवाब बहस में अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 2 ने लिखित बहस व मौखिक बहस में कहा कि अपील के जिमन सं0 5 का अवलोकन फरमाये । अपीलांट ने इन्तकाल की अपील क्यों नहीं की ? 14 वर्ष हो गये इन्तकाल को दर्ज हुए जबकि इन्हें पहले अपील करनी चाहिए थी । शांति ने अपने हिस्से का हक त्याग रेस्पो0 सं0 2 को कर दिया तथा इब्राहिम को दो बहिनों ने भी हक त्याग किया है । अपीलांट को हक त्याग की जानकारी थी तब इन्हें कार्यवाही करनी चाहिए । इसलिए तहत न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है और अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया ।

3/18

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया ।

अपीलांट ने विरासत के इन्तकाल को चैलेन्ज तो नहीं किया है परन्तु वाद के माध्यम से अधिकारों को चुनौती दी है और हिस्सा किसका कितना है, यह वाद में तय होगा । तहत न्यायालय के निर्णय के अनुसार वादी/अपीलांट के पक्ष में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया गया है । बहस में रेस्पो0 उपस्थित नहीं थे, परन्तु तहत न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट अंकित नहीं किया है कि किन आधारों पर जारी अन्तरित स्थगन आदेश वादी के पक्ष में नहीं होना पाया जाता है । तीनों बिन्दुओं पर कोई विवेचन नहीं किया है । अपितु जब वाद में मुस्लिम पर्सनल कानून के अनुसार हिस्सा को चैलेन्ज किया है तो ऐसी स्थिति में रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखा जाना न्यायसंगत है । यदि रेस्पो0 आराजी का बेचान करते हैं तो इससे दावे में परेशानी होगी । उक्त तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट/वादी के हक में साबित होती है । इसलिए अपील अपीलांट काबिल स्वीकार योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कठूमर के निर्णय दि0 31.08.2015 निरस्त किया जाता है । रेस्पो0 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी वर्णित वादपत्र के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें तथा विवादित आराजी को रहन, बय एवं मुन्तकिल नहीं करें । खर्चा अपना-अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.8.18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर